

अनुदान संख्या 81 - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
GRANT No. 81-DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1128,31,00	1128,32,00	1090,09,25
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			34,07,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	8,10,00	. .	-8,10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			8,10,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research			
मू.	O.	112381.00	108936.00	108524.42
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-3446.00		

(I) 3001.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत (एक शीर्ष में 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3000.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण शीर्ष "अन्य - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता - आधारभूत संरचना, पुनर्नवीकरण तथा पुनः साजसज्जीकरण" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.3001.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in one head); of these Rs.3000.00 lakhs accounted for under "Others - Assistance to Council of Scientific and Industrial Research - Infrastructure, Renovation and Refurbishing" - due to non-receipt of approval of the scheme from the competent authority.

(II) शीर्ष "अन्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता"-

(क) "राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं"- 2807.00 लाख रु. की बचत (79461.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ख) "नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व का सूत्रात"- 500.00 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना तैयार किए जाने की अवधि के लम्बी होने और अनुदानग्राही संस्थाओं/अभिकरणों द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास और उपयोग कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान"- 849.58 लाख रु. की बचत (2020.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें "अन्य - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) "प्रशासन"- 1900.00 लाख रु. का अधिक व्यय (16600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पेंशन संबंधी व्यय में वृद्धि होने, जिस पर वित्त मंत्रालय द्वारा बजट-पूर्व चर्चा के दौरान सहमति व्यक्त कर दी गई थी, के कारण हुआ।

(खा) "अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति"- 1100.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्येताओं की संख्या में वृद्धि होने और उनका पारिश्रमिक बढ़ाए जाने के कारण हुआ।

(II) Under "Others" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Council of Scientific and Industrial Research" -

(a) "National Laboratories" - saving of Rs.2807.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.79461.00 lakhs) was due to late approval of projects under the scheme and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "New Millennium Indian Technology Leadership Initiative"- saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to long gestation period of the project and delay in submission of documents by Grantee Institutions/agencies.

(B) "Assistance to Other Scientific Bodies - Grants-in-aid for Technology Promotion Development and Utilisation Programme"- saving of Rs.849.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2020.00 lakhs) was due to delay in getting approval of the competent authority.

2. The above savings were partly offset by excess under "Others - Assistance to Council of Scientific and Industrial Research" - under the following heads:-

(A) "Administration" - excess of Rs.1900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16600.00 lakhs) was due to increase in pensionary expenditure of Council of Scientific and Industrial Research which was agreed during pre-budget discussion by the Ministry of Finance.

(B) "Research Schemes, Scholarship and Fellowships" - excess of Rs.1100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5700.00 lakhs) was due to increase in the number of fellows and enhancement in remuneration of fellows.

(गा) “बौद्धिक सम्पदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन”- 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फाइल किए गए पेटेंटों (भारत और विदेश में) की संख्या में वृद्धि होने और साथ ही पेटेंट शुल्क बढ़ा दिए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(C) “Intellectual Property and Technology Management”- excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs) was due to increase in the number of patents filed (in India and abroad) and also hike in the patent fee.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष
मुख्य शीर्ष “4859”
दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक
उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

Head
Major Head “4859”
Capital Outlay on Telecommunication
and Electronics Industries

मू.	O.	400.00	
पु.	R.	-400.00				

मुख्य शीर्ष “6859”
दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक
उद्योगों के लिए कर्ज

Major Head “6859”
Loans for Telecommunication
and Electronics Industries

मू.	O.	400.00	
पु.	R.	-400.00				

(I) 810.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 800.00 लाख रु. (इक्विटी और कर्ज 400.00 लाख रु. प्रत्येक) मुख्य शीर्ष “4859” और “6859” - “इलेक्ट्रॉनिकी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश/को कर्ज - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड” के अंतर्गत निधियां जारी किए जाने संबंधी शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs. 810.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.800.00 lakhs (equity and loan of Rs.400.00 lakhs each) accounted for under Major Heads “4859” and “6859” - “Electronics - Investments in/Loans to Public Sector and Other Undertakings-Central Electronics Ltd.” - due to non-fulfilment of conditions for release of funds.